न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 28/2019

राजस्थान सरकार जरिये श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी, नसीराबाद।

.....प्रार्थी

बनाम

मैसर्स महाकाल रेस्टोरेन्ट, नसीराबाद, राजकीय अस्पताल के पास, नसीराबाद जरिये श्री आकाश मेहरा पुत्र श्री इंदु कुमार मेहरा, निवासीः वार्ड नं0 क5, 2936, कहार मौहल्ला, नसीराबाद, जिला–अजमेर।

.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः– श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 15.01.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 12.04.2019 को उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डर के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग/घरेलू सिलेण्डर के अवैध रूप से गैस रिफिलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा चाय बनाकर ग्राहको को कीमतन विक्रय करते पाये जाने पर अप्रार्थी के व्यवसायिक स्थल से एक घरेलू गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	866824	HPCL	15.0kg	27.4 kg	12.4kg	Domestic

को कब्जेराज लिया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः घरेलू गैस सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर नसीराबाद गैस सर्विस, नसीराबाद के कार्मिक श्री नरेश सोनी पुत्र श्री रामप्रसाद सोनी, निवासीः पुराना शहर किशनगढ, जिला अजमेर को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। दौराने सुनवाई अप्रार्थी उपस्थित नहीं आये। उपस्थित पैरोकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 12.04.2019 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिया गया एक घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी का कथन है कि वक्त निरीक्षण व्यवसायिक गैस सिलेण्डर लीक हो जाने के कारण उसके पिताजी उसे ठीक करवाने ले गये थे, तथा जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर में गैस खत्म हो जाने के कारण उसे भरवाने हेतु दुकान पर रख लिया था। अप्रार्थी द्वारा दुकान पर व्यवसायिक गैस सिलेण्डर ही उपयोग में लिया जाता है घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग नही किया जाता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज फरमाया जावें तथा जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को लौटाये जाने की कृपा करावें।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा जवाब में ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के दर्ज नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनो का खण्डन करते। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिया गया एक घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner